<u>जनपद बाराबंकी</u>

प्रेस नोट सं0-71 **दिनांक- 31.08.2021**

थाना हैदरगढ पुलिस टीम द्वारा फर्जी लूट की घटना का सफल अनावरण-

दिनांक-28.08.2021 को वादी दिलीप कुमार सोनी पुत्र ठाकुर प्रसाद सोनी निवासी ग्राम लाही थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी ने थाना हैदरगढ़ पर सूचना दिया कि हम अपनी ज्वैलर्स की दुकान नेरथुआ मोड़ से बन्द करके अपने भाई दीपक कुमार सोनी के साथ घर के लिए निकले और रास्ते में शराब के ठेके से आगे आने पर 03 अज्ञात प्लेटिना सवार व्यक्तियों ने पीछे से आकर धक्का दे दिया और गोली चला दी जो मुझे लगी और मैं नीचे गिर गया तथा मेरे भाई दीपक सोनी से बैग छीन कर रायबरेली की तरफ भाग गये । बैग में 25 जोड़ी बिछिया, 02 लाकेट व 50 पीस नाक की कील तथा 50 हजार रूपये नकद रखे थे। उक्त सूचना के आधार पर थाना हैदरगढ़ पर मु0अ0सं0-248/21 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सफल अनावरण करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ श्री नवीन सिंह के पर्यवेक्षण में 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा अथक प्रयास कर घटना के अनावरण करने का प्रयास किया जा रहा था तो भौतिक एवं डिजिटल साक्ष्याधार पर लूट की घटना फर्जी पायी गयी । अभियोग उपरोक्त में धारा 394 भादवि का लोप करते हुए धारा 420/203 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा दिनांक-31.08.2021 को अभियुक्त 1-दिलीप कुमार सोनी 2- दीपक कुमार सोनी पुत्रगण ठाकुर प्रसाद सोनी निवासी ग्राम लाही थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया।

थाना हैदरगढ़ पुलिस टीम द्वारा घटना की जांच से प्रकाश में आया कि वादी दिलीप सोनी की कोई स्थायी दुकान नहीं है। इनके द्वारा अपने ही परिवार के पिन्टू सोनी व आर0के0 ज्वैलर्स हैदरगढ़ से ज्वैलरी लेकर लोगों को बेचते है। इसी बीच दिलीप सोनी ने पिन्टू सोनी से ज्वैलरी, आर0के0 ज्वैलर्स से 7500/- रूपये व रंजीत गुप्ता पुत्र सन्तोष गुप्ता निवासी शाहपुर थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से 14000/- रूपये नकद लिया था । नकद रूपये व ज्वैलरी न देने के लिए इनके द्वारा प्लान बनाया गया जिसके तहत गोली मार कर लूट की घटना होना बताया गया था । पुलिस टीम द्वारा लाही मेन रोड पर स्थित पेट्रोल पम्प जहां सीसीटीवी लगा हुआ से पाया गया कि दिलीप सोनी व दीपक सोनी द्वारा दिखाई गयी घटना होने के पश्चात पेट्रोल पम्प कर्मियों व प्रधान को बताया गया कि मेरे साथ गोली मार कर लूट की घटना कारित की गयी है और पुनः वापस जाकर उसी स्थान पर जाकर लेट गये जहां से उन्हें चोट आयी । गोली मारने की घटना भी फर्जी पायी गयी, मेडिकल के आधार पर चोट गोली मारने से नहीं होना पाया गया । घटना स्थल के आस-पास लोगों के घर है लेकिन पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर घटना की कोई जानकारी नहीं थी । इसी तरह दिलीप के छोटे भाई शुभम सोनी द्वारा रंजीत गुप्ता को फोन कर पुलिस की

पूछताछ में 50 हजार रूपये दिये जाने की बात बताये जाने के लिए कहा गया जिसकी कॉल रिकार्डिग रंजीत गुप्ता द्वारा की गयी थी । बताई गई प्लेटिना गाड़ी भी वादी के घर से बरामद हुई है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1- दिलीप कुमार सोनी पुत्र ठाकुर प्रसाद सोनी निवासी ग्राम लाही थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी

2- दीपक कुमार सोनी पुत्र ठाकुर प्रसाद सोनी निवासी ग्राम लाही थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी

<u>पुलिस टीम-</u>

1- प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार वर्मा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी ।

2- उ0नि0 श्री छट्टू चौधरी थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी ।

3- का0 विनय सिंह, का0 शैलेन्द्र सिंह थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी ।